

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
खेल,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग**

**लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2018**

**विषय :- जनपद कासगंज में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 10/नि0 कासगंज स्टे0पत्रा0/2016-17, दिनांक 09.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कासगंज में स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 909.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष वर्ष-2016-17 में शासनादेश संख्या- 1230/बयालिस-2016-29(निर्माण)/2009, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 द्वारा धराशि रू0 200.00 लाख अवमुक्त करने एवं शासनादेश संख्या- 1698/बयालिस-2017-29(निर्माण)/2009, दिनांक 26 अगस्त, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष- 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसका उपयोग निर्माण इकाई द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्पत्ति लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
- (4)- परियोजना की लागत में टाईम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6)- आगणन में प्रस्तावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (7)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (8)- शासनादेश संख्या- 1230/बयालिस-2016-29(निर्माण)/2009, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या- 1698/बयालिस-2017-29(निर्माण)/2009, दिनांक 26 अगस्त, 2017 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।
- 2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2018-19 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-96-जनपद कासगंज में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2017, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राविधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( मो0 इफतेखारूद्दीन )  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या- 863(1)/बयालिस-2018-तददिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- (1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (3)- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4)- जिलाधिकारी, कासगंज।
- (5)- क्रीडा अधिकारी कासगंज।
- (6)- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
- (7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- (8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
- (9)- नियोजन अनुभाग- 4
- (10)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

( भूपेन्द्र बहादुर सिंह )  
अनु सचिव।